

अधिकारी का कार्य में व्यस्त है।  
कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-5-16 को पेश हो। प्रति नं० की ओर से श्री P. P. जोशी ने क्वालरनामा पेश किया।

3-516 वकील उमयप्रसाद उपर/ प्रति नं० 2, 3 का क्वॉलर सूचना उपस्थित नहीं है। अतः इनके विरुद्ध संकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्तु जवाब पत्रावली दि० 14-5-16 को पेश हो।


27.4.17

23-516

पत्रावली आज पेशी में ली गई। पत्रावली दि० 8-5-16 को कैम्प कोर्ट तलावडा में पेश हो। पत्रकारों को नोटिस जारी किया जावे।

उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

श्री कान्तादेवी



पुष्पा

8-5-16 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट तलावडा पर पेश हुई। वादीगण कान्तादेवी, पुष्पा उपस्थित हैं। वादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण इस आधार पर दावा वापिस ले रहे हैं कि वादीगण तहसीलदारजी के समक्ष जाकर भूमि का विभाजन करवा लेंगे। अगर हमारा विभाजन नहीं हो पाता है कि तो हमें पुनः नया दावा पेश करने की द्युत सी जावे।

अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण को दावा वापिस लेने व नवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है। पचास डिग्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलामार हेमर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)  
रजिस्ट्रार  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)  
रजिस्ट्रार  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

(मुनि देव शाक)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

1. पुष्पादेवी पुत्री स्व
2. कान्ता पुत्री स्व
1. कैलाश पुत्र रा
2. लेण्ड होल्डर
3. सब रजिस्टार

मुकदमा नं. -  
वादी क  
की उपस्थिति  
समक्ष अंतिम नि  
लोक  
अपनी भूमि क  
अतः वादीगण  
स्थिति में नय  
खर्चा  
यह



- 1 वादपत्र
- 2 शक्ति
- 3 प्रदर्शो
- 4 .....
- 5 साक्षि
- 6 कनिश्
- 7 आर्दी

### मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) तलावडा

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. पुष्पादेवी पुत्री स्व. रामविलास महाजन निवासी तलावडा गंगापुर सिटी
2. कान्ती पुत्री स्व. रामविलास महाजन निवासी तलावडा गंगापुर सिटी

---वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामहेत महाजन निवासी तलावडा तह0 गंगापुर सिटी
2. लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. सब रजिस्टार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

नुकदमा नं. - 100/2015

वादी की ओर से वादी पुष्पा देवी, कान्ती की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नहीं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर वादीगण ने तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष अपनी भूमि का विभाजन करवा लेने के कारण अपना दावा वापिस लेने का निवेदन किया है। अतः वादीगण को अपना दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है तथा विभाजन नहीं होने की स्थिति में नया दावा पेश करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 8.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी



#### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

वाक्य  
वेरुड  
जव  
27.4.17  
25/1/16  
पेश हो  
कलेक्टर  
र सिटी  
पर  
उपास्थित  
पेश  
वा  
की  
/ अग्र  
मे पुनः  
नाकर  
दावा  
डिक्री  
र हेकर  
खिल  
मदन शाक